उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H02483/C-6/Gen-723/O.A. No.912/2022 & 913/2022/2023 *Dated* 31/10/23

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Sub: **Regarding submission of Interim Compliance Report in compliance of the order dated 08.08.2023 in OA no. 912/2022 & 913/2022, In the matter of Manav Sewa Sansthan & Anr Vs. Union of India & Ors.**

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 08.08.2023 in OA no. 912/2022 & 913/2022, In the matter of Manav Sewa Sansthan & Anr Vs. Union of India & Ors., The questioned sugar industry M/s Balrampur Chini Mills Ltd, (Sugar Divison) Balrampur vide letter dated 30.10.2023 has informed that the unit will start the crushing operation in 03rd Week of the November, 2023, hence the Interim Compliance Report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

Enclosures: As above

(Dr. Ram Karan)
Chief Environment Officer
(Circle-6)

Copy to: Following for information and further necessary action.
Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.

Chief Environment Officer
(Circle-6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

Action taken report regarding order dated 08.08.2023 Passed by Hon'ble NGT in O.A. No 912 & 913/2022 Manav Seva Sansthan and others Vs. Union of India and Others.

Pursuant to the direction given by Hon'ble NGT order O.A. No 912 & 913/2022 Manav Seva Sansthan and others Vs. Union of India and Others dated 08.08.2023, Themain relevant contents of the order are as under-

"...........7. In view of the findings and our observations, we direct that:

i. The M/s Balrampur Chinni Mills Ltd (Sugar Division), Balrampur must take appropriate corrective measure to improve the treatment efficiency of ETP, clean the internal drainage system, prevent the spillage/ seepage in the surrounding area of the industry and take corrective measures for stopping the untreated wastewater to the drains meeting to Suwaon nala. Further, industry should maintain ferti- irrigation plan and adequate storage facility during non-demand period. The same conditions shall apply to Sugar Division of Bajaj Hindustan.

ii. Local administration through Balrampur Nagar Parishad and concerned Nagar Panchayats under supervision of District Magistrate, Balrampur shall explore the possibility for the proper collection and treatment of the domestic waste generated in district Balrampur through STP in downstream of the city before discharge to Suwaon nala which should be done and report filed before next hearing.

iii. UPPCB/local administration may identify the industries, service station and other water polluting activities and ensure their treatment at the source and stop the discharge of untreated wastewater into the Suwaon nala which is ultimately meeting to Rapti river. Report to this effect may also be filed.

iv. Local administration may explore the possibility for periodic cleaning of the Suwaon nala and nearby stagnated pond by involving concern industries using their CSR fund and plantation on the catchment area of the Suwaon nala.

v. The Committee is further directed to reinspect the unit in crushing season and to ensure the compliances. The unit shall ensure the reuse of water for agriculture purposes or any other irrigation purposes.

vi. Distillery Division of Balrampur Chini will operate on ZLD condition and water balance/audit will be given before next hearing.

In compliance of the above order, a letter vide Ref No. 190/Sa-148/NGT/2023 dated 10.08.2023 was issued to concerns for submitting the action taken report to this office which has been annexed as **Annexure-I.**

In this regard, the point wise report is as follows-

i- M/s Balrampur Chini Mills Ltd (Sugar Division), Balrampur has submitted the point wise report vide Ref No.- L./Pollution/920 dated 16.10.2023 and it has been annexed as **Annexure-II.**

ii- M/s Bajaj Hindusthan Sugar Ltd., Itai Maida, Utaraula, Balrampur has submitted the point wise report vide letter no. BHSL/Utraula/2023/228 dated 13.10.2023 which has been annexed as **Annexure-III.**

iii- Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Balrampur has submitted a report regarding STP in downstream of the city before discharge to Suwaon Nala and it has been annexed as **Annexure-IV.**

1- A team was constituted to identify the water polluting Industries/activities and service stations to stop the discharge of untreated water into the Suwaon Nala which is ultimately meeting to river Rapti. The joint Committee has submitted the report regarding identification of industries/activities and service stations and it has been annexed as **Annexure No-V**.

As per report submitted by the joint committee, it has been reported that there is no any industries/activities other than referred above However, three service stations have been identified which are as follows-

a- M/s D.M. Auto sales (An Authorized service centre of Tata Company) Vill- Sirasiya, Gonda Road, Balrampur.

b- M/s Amit Motors Pvt Ltd, Near Railway Crossing, Sirasiya Road, Balrampur,

c- M/s Anand Motors Agencies, Bhagwati Ganj, Balrampur.

Out of the three identified service stations, M/s D.M. Auto sales (An Authorized service centre of Tata Company) Vill- Sirasiya, Gonda Road, Balrampur has installed ETP for treatment of waste water generated from the washing of the vehicles and this Agency has obtained CTO vide Ref No. 159101/UPPCB/BASTI(UPPCBRO)/CTO/ Both/Balrampur/2022 dated 24.06.2022 and the validity period of this CTO is upto 31.07.2025.

Rest two service stations have not obtained CTO from State Pollution Control Board. Notices have been issued to both of the service stations which have been annexed as **Annexure-VI(a)&VI(b).**

2- A virtual Meeting was orgnized on dated 11.10.2023 with joint Committee members regarding reinspection of the M/s Balrampur Chini mills Ltd, Balrampur and it has been reiterated that both units shall be inspected after starting of the cane crushing in cane crushing season 2023-24.

2/10/2023

Regional Officer,
U.P. Pollution Control Board,
Basti

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542–281440
Phone & Fax : 05542–281440

Annexure – I

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BASTI

संदर्भ संख्या : 190/एफ0-148/N.G.T/2023 दिनांक : 10-08-2023

सेवा में,

1. अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
जनपद–बलरामपुर
2. मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल्स लि0,
(शुगर डिविजन), ग्राम–विशुनीपुर,
जनपद–बलरापमपुर
3. मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान,
इटई मैदा, जनपद–बलरामपुर।
4. मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल, (केमिकल डिविजन), ग्राम–विशुनीपुर, जनपद–बलरानपुर

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–912/2022, 913/2022 पारित आदेश दिनांक 08.08.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–912/2022, 913/2022 पारित आदेश दिनांक 08.08.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् है–

"7. In view of the findings and our observations, we direct that:

(i). The M/s Balrampur Chinni Mills Ltd (Sugar Division), Balrampur must take appropriate corrective measure to improve the treatment efficiency of ETP, clean the internal drainage system, prevent the spillage/ seepage in the surrounding area of the industry and take corrective measures for stopping the untreated wastewater to the drains meeting to Suwaon nala. Further, industry should maintain ferti-irrigation plan and adequate storage facility during non-demand period. The same conditions shall apply to Sugar Division of Bajaj Hindustan.

(ii). Local administration through Balrampur Nagar Parishad and concerned Nagar Panchayats under supervision of District Magistrate, Balrampur shall explore the possibility for the proper collection and treatment of the domestic waste generated in district Balrampur through STP in downstream of the city before discharge to Suwaon nala which should be done and report filed before next hearing.

(iii). UPPCB/local administration may identify the industries, service station and other water polluting activities and ensure their treatment at the source and stop the discharge of untreated wastewater into the Suwaon nala which is ultimately meeting to Rapti river. Report to this effect may also be filed.

(iv). Local administration may explore the possibility for periodic cleaning of the Suwaon nala and nearby stagnated pond by involving concern industries using their CSR fund and plantation on the catchment area of the Suwaon nala.

(v). The Committee is further directed to reinspect the unit in crushing season and to ensure the compliances. The unit shall ensure the reuse of water for agriculture purposes or any other irrigation purposes.

(vi). Distillery Division of Balrampur Chini will operate on ZLD condition and water balance/audit will be given before next hearing.

ब्लॉक रोड, बुद्धापुरम, बड़ेबन, बस्ती–272001
Web site: www.uppcb.com, e-mail Id: robasti@uppcb.in, ropcbbasti@gmail.com

8. *Further action taken report may be filed by UPPCB, District Magistrate, Balrampur and the respondents within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*
9. *List the matter on 02.11.2023."*

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश की प्रति संलग्नकर इस आशय के साथ प्रेषित कि जा रही है कि अपने से सम्बन्धित कार्यवाही कर अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि माननीय न्यायालय में ससमय ए0टी0आर0 प्रस्तुत की जा सके।

भवदीय

(प्रखर कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर को इस अनुरोध के साथ कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–912/2022, 913/2022 पारित आदेश दिनांक 08.08.2023 के अनुपालन हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure II

BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED

FACTORY : P.O. : BALRAMPUR, DISTT. : BALRAMPUR (U.P.) PIN-271201
PHONES : 05263-232061, 232078, 232235 I GSTIN : 09AAACB9373Q1ZW

संदर्भ सं. : एल./पॉल्यूशन/920

16 अक्टूबर, 2023

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ब्लॉक रोड, पुष्पापुरम्, बड़ेबन,
बस्ती-272001 (उ0प्र0) ।

विषय : एन.जी.टी. मैटर 912/2022 के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में आपसे हुई वार्ता के क्रम में सादर अवगत कराना है कि हमारी शुगर मिल पेराई सत्र 2023-2024 के लिये पेराई कार्य सम्भवतः नवम्बर-2023 के तीसरे सप्ताह में प्रारम्भ करेगी एवं एन.जी.टी. के आदेश दिनांक : 08.08.2023 में उद्योग से संबंधित बिन्दुओं का उत्तर आगामी तिथि पर दाखिल किया जायेगा ।

श्रीमान् जी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

आदर सहित ।

भवदीय,
कृते बलरामपुर चीनी मिल्स लि0

प्रधान प्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

REGD. OFF. : "FMC FORTUNA" 2ND FLOOR, 234/3A, ACHARYA JAGDISH CHANDRA BOSE ROAD, KOLKATA-700 020
TELEPHONES : (033) 2287-4749 I FAX : 2287-3083 I CIN-L15421WB1975PLC030118, CALCUTTA I Email : bcml@bcml.in I Internet Website : http://www.chini.com

BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED

FACTORY : P.O. : BALRAMPUR, DISTT. : BALRAMPUR (U.P.) PIN-271201
PHONES : 05263-232061, 232078, 232235 I GSTIN : 09AAACB9373Q1ZW

Ref. No. : L/Pollution/971

30TH OCTOBER, 2023

To,

The Member Secretary
U.P. Pollution Control Board,
LUCKNOW.

Subject : Starting of Crushing Season 2023 – 2024.

Resp. Sir,

In continuation with our letter no. : L/Pollution/920 dated : 16.10.2023 addressed to Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Basti, we want to inform you that our unit will start the crushing operation for sugar season 2023 – 2024 in 03rd week of November – 2023.

We will inform the final date of starting as soon as decided.

With regards.

Yours Faithfully
For BALRAMPUR CHINI MILLS LTD.

(NISHKAM GUPTA)
CHIEF GENERAL MANAGER

Cc to: Chief Environmental Officer(Circle-6),U.P.Pollution Control Board, Lucknow.

REGD. OFF. : "FMC FORTUNA" 2ND FLOOR, 234/3A, ACHARYA JAGDISH CHANDRA BOSE ROAD, KOLKATA-700 020
TELEPHONES : (033) 2287-4749 I FAX : 2287-3083 I CIN-L15421WB1975PLC030118, CALCUTTA I Email : bcml@bcml.in I Internet Website : http://www.chini.com

Annexure-III

bajaj SUGAR

Ref: BHSL/Utraula/2023/228

Date: - 13.10.2023

To,
The Regional Officer
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Block Road, Budhapuram Badevan
Basti – 272001

Sub: Order dated 08.08.2023 by Honorable National Green Tribunal New Delhi in the matter of OA 912/2022,913/2022 Reg.

Ref: Letter No.190/Sa-14B/N.G.T./2023 Dated- 10.08.2023.

Dear Sir,
With reference to the above-mentioned letters received on 12.10.2023 through WhatsApp, we are submitting herewith the point wise compliance status as below:

Sl.	Order points	Compliance status
1	The M/s Balrampur Chinni Mills Ltd (Sugar Division), Balrampur must take appropriate corrective measure to improve the treatment efficiency of ETP, clean the internal drainage system, prevent the spillage/ seepage in the surrounding area of the industry and take corrective measures for stopping the untreated wastewater to the drains meeting to Suwaon nala. Further, industry should maintain ferti-irrigation plan and adequate storage facility during non-demand period. The same conditions shall apply to Sugar Division of Bajaj Hindustan	1. We have a completely upgraded **ETP system** up to tertiary level for treatment of process effluent. For treatment of cooling tower overflow we have already installed **SRS plant.** The Effluent Treatment plant is being operated efficiently to achieve the norms as per prescribed in MOEF & CC Notification dated 14.01.2016. 2. The treated Effluent is gainfully utilized in Irrigation as per irrigation management plan validated by NSI Kanpur and in accordance with the MOEF& CC notification GSR-35 E dated 14.01.2016. 3. Adequate storage facility (pucca lagoon) is already in place for the storage of treated effluent during no demand period. 4. Online continuous Effluent monitoring system has also been installed at ETP outlet & Online continuous Emission monitoring system is already installed at Boiler stack. The Web camera is also installed at ETP. The real time data is being transferred on CPCB / UPPCB server. 5. Housekeeping is in our prime agenda and being maintained regularly to avoid any leakages and seepage from drainage system.
2	Local administration through Balrampur Nagar Parishad and concerned Nagar Panchayats under supervision of District Magistrate, Balrampur shall explore the	**Not related to us.**

Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

bajaj GROUP
THINK TOMORROW

bajaj SUGAR

	possibility for the proper collection and treatment of the domestic waste generated in district Balrampur through STP in downstream of the city before discharge to Suwaon nala which should be done, and report filed before next hearing.	However, BHSL has already installed **sewage treatment plant** at our unit for the treatment of domestic effluent and the treated domestic effluent is being reutilized for the irrigation of our green belt.
3	UPPCB/local administration may identify the industries, service station and other water polluting activities and ensure their treatment at the source and stop the discharge of untreated wastewater into the Suwaon nala which is ultimately meeting to Rapti river. Report to this effect may also be filed.	BHSL is not discharging any treated or untreated effluent into the Suwaon Nala. The treated effluent is being utilized in irrigation only.
4	Local administration may explore the possibility for periodic cleaning of the Suwaon nala and nearby stagnated pond by involving concern industries using their CSR fund and plantation on the catchment area of the Suwaon nala.	**Noted** Plantation is being maintained by BHSL and densify regularly by plantation on new sapling every year in around the our plant facility.
5	The Committee is further directed to reinspect the unit in crushing season and to ensure compliances. The unit shall ensure the reuse of water for agriculture purposes or any other irrigation purposes.	**Noted**
6	Distillery Division of Balrampur Chini will operate on ZLD condition and water balance/audit will be given before next hearing.	Not related With BHSL

We once again assure you that we are a sincere and law-abiding organization for protection of the environment and conscious of our social responsibilities and are committed towards creating a clean and safe environment in and around our manufacturing facility and will always remain so.

Thanking you
Yours Faithfully
For Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.
Unit: Utraula, Balrampur, U.P.

(Authorized signatory)

Encl: As Above

CC: District Magistrate Balrampur

bajaj hindusthan sugar limited

Annexure IV

कार्यालय आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

पत्रांक- 1036/[illegible](स्वा0)/2023-24 दिनांक 16-10-2023

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती
ब्लॉक रोड, बुद्धापुरम, बढेबन, बस्ती–272001

विषय– मा‌ननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–912/2022, 913/2022 पारित आदेश दिनांक 08.08.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या–190/सा0–148/NGT/2023 दिनांक 10.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर में उत्पन्न होने वाले घरेलू कचरे व यूज्ड वाटर के निस्तारण हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय 2.0) योजना Operational Guidelines के अनुरूप प्रदेश के नगर निकायों के यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट हेतु 139 नगर निकायो के स्वीकृत City Sanitation Action Plan (CSAP) के प्राक्कलन विरचन का कार्य निर्माण खण्ड उ0प्र0, जल निगम (नगरीय) बलरामपुर द्वारा किया जाना है जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) बलरामपुर द्वारा पत्रांक–467/कार्य–74/01 दिनांक 12.04.2023 द्वारा 100×100 मी0 की भूमि STP हेतु एवं 50×50 मी0 की भूमि FSTP हेतु पत्राचार किया गया है जिसके सम्बन्ध में आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा उपजिलाधिकारी, बलरामपुर सदर को पत्र संख्या–218 दिनांक 17.05.2023 के द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में पत्राचार किया गया है तथा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर भूमि उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः यथोपरि।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर

कार्यालय आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

पत्रांक–218 /न०पा०परि०(बल०)/2023–24

दिनांक 12-05-2023

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
सदर बलरामपुर।

विषय–आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन(नगरीय–2.0) योजना के अन्तर्गत यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट हेतु नगरीय निकायों के स्वीकृत City Sanitation Action Plan के सापेक्ष विस्तृत प्राक्कलन (डी.पी.आर.) तैयार किये जाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ.प्र. जल निगम(नगरीय), बलरामपुर के पत्रांक–467/कार्य–74/01 दिनांक 12.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय–2.0) योजना के अन्तर्गत Used Water Management हेतु नगरीय निकायों के स्वीकृत City Sanitation Action Plan की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें नगर पालिका परिषद, बलरामपुर को सम्मिलित किया गया है। जिसके क्रम में नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में I&D Work & Sewerage treatment हेतु IPS/MPS/STP आदि के निर्माण कार्य हेतु नगर पालिका परिषद, बलरामपुर क्षेत्रान्तर्गत 100 मी. × 100 मी. की भूमि एस.टी.पी. हेतु एवं 50 मी. × 50 मी. की भूमि एफ.एस.टी.पी. निर्माण हेतु सुगम पहुंचमार्ग पर स्थित, निःशुल्क एवं विवादरहित के स्थल प्रस्ताव की आवश्यकता है, की मांग की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार भूमि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर

O/C

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–

1. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी(स्था०नि०) महोदय, बलरामपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ.प्र. जल निगम(नगरीय), बलरामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर

O/C

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, उ.प्र. जल निगम(नगरीय), बलरामपुर
निकट–संतोषी माता मन्दिर, नार्मल स्कूल पानी टंकी, जनपद–बलरामपुर।

पत्रांक : 467 / कार्य-74 / 01 दिनांक– 12.04.2023

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, बलरामपुर
जनपद–बलरामपुर।

विषय– **आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय–2.0) योजना के अन्तर्गत यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट हेतु नगरीय निकायो के स्वीकृत City Sanitation Action Plan के सापेक्ष विस्तृत प्राक्कलन (डी.पी.आर.) तैयार किये जाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय–2.0) योजना के अन्तर्गत Used Water Management हेतु नगरीय निकायों के City Sanitation Action Plan की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें नगर पालिका परिषद बलरामपुर को सम्मिलित किया गया है।

उक्त के क्रम में नगर पालिका परिषद बलरामपुर में I&D Work & Sewerage treatment हेतु IPS/MPS/STP आदि के निर्माण कार्य हेतु नगर पालिका परिषद बलरामपुर क्षेत्रान्तर्गत 100 मी. X 100 मी. की भूमि एस.टी.पी. हेतु एवं 50 मी. X 50 मी. की भूमि एफ.एस.टी.पी. निर्माण हेतु सुगम पहुंचमार्ग पर स्थित, निःशुल्क एवं विवादरहित के स्थल प्रस्ताव की आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार भूमि का स्थल प्रस्ताव (गाटा संख्या, खसरा एवं खतौनी सहित) इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे डी.पी.आर. विरचन हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(मो. जियाउल हक)
अधिशासी अभियन्ता

पृ.सं. एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ.प्र. जल निगम(नगरीय), अयोध्या।
2. जिलाधिकारी, बलरामपुर।
3. उपजिलाधिकारी, तहसील–बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।

अधिशासी अभियन्ता

Letter 2023-24/S.K.V.

1442

Annexure -V

विषयः—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0—912 एवं 913/2022 मानव सेवा संस्थान व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 08.08.2023 के संबंध में।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0—912 एवं 913/2022 मानव सेवा संस्थान व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 08.08.2023 में निम्नवत निर्देश दिये गये हैं—

"..........7. UPPCB/local administration may identify the industries, service station and other water polluting activities and ensure their treatment at the source and stop the discharge of untreated wastewater into the Suwaon nala which is ultimately meeting to Rapti river. Report to this effect may also be filed."

उक्त के अनुक्रम में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा बलरामपुर शहर में जल प्रदूषणकारी इकाइयों का दिनांक—10/10/2023 को चिन्हीकरण की कार्यवाही की गयी—

1. श्री राजेन्द्र बहादुर, उपजिलाधिकारी, बलरामपुर।
2. श्री राजमणि, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर।
3. श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।
4. श्री पराशर पाण्डेय, प्रयोगशाला सहायक, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती ।

विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:—

बलरामपुर शहर में बलरामपुर शुगर मिल के अतिरिक्त अन्य कोई जल प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाई चिन्हित नहीं हुयी है। 03 आटोसेल्स/सर्विस स्टेशन चिन्हित किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नवत है—

1. मेसर्स डी0एम0 आटो सेल्स(टाटा अथराइज्ड सर्विस सेन्टर), ग्राम—सिरसिया, गोण्डा रोड, परगना व तहसील—बलरामपुर, जनपद—बलरामपुर—उक्त सर्विस स्टेशन ग्राम—सिरसिया, गोण्डा रोड, परगना व तहसील—बलरामपुर, जनपद—बलरामपुर के गाटा सं0—1015मि0 पर स्थापित एवं कार्यरत है। उक्त उद्योग एक आटोमोबाइल सर्विस स्टेशन है, जिसमें टाटा कम्पनी द्वारा निर्मित मोटर वाहनों की धुलाई एवं सर्विसिंग का कार्य किया जाता है। सर्विस स्टेशन में प्रतिदिन लगभग 30 गाड़ियों की मरम्मत एवं धुलाई की जाती है। निरीक्षण के समय उपस्थित सर्विस स्टेशन प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचनानुसार सर्विस स्टेशन वर्ष 2021 से स्थापित है। उक्त सर्विस स्टेशन में 15के0वी0ए0 क्षमता का एक अदद कैनोपी युक्त डी0जी0 सेट स्थापित है। उक्त सर्विस स्टेशन को राज्य बोर्ड के पत्र सं0—159101/UPPCB/Basti(UPPCBRO)/CTO/both/BALRAMPUR/2022 दिनांक 24.06.2022 द्वारा दिनांक 31.07.2025 तक की अवधि हेतु जल एवं वायु सहमति(CTO) निर्गत किया गया है। सर्विस स्टेशन में जल की आपूर्ति निजी नलकूप के माध्यम से की जाती है। उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रयोजन में मोटर वाहनो के वाशिंग में की जाती है। घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप जनित दहिस्राव के शुद्धीकरण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था सर्विस स्टेशन में स्थापित है। मोटर वाहनो के धुलाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र उद्योग में स्थापित है। शुद्धीकृत उत्प्रवाह का निस्तारण निजी भूमि पर किया जाता है।

2. **मेसर्स अमित मोटर्स प्रा0 लि0, निकट रेलवे क्रासिंग, सिरसिया रोड, जनपद–बलरामपुर**–उक्त सर्विस स्टेशन निकट रेलवे क्रासिंग, सिरसिया रोड, जनपद–बलरामपुर में स्थित एवं कार्यरत है। उक्त उद्योग एक आटोमोबाइल सर्विस स्टेशन है, जिसमें महिन्द एण्ड कम्पनी द्वारा निर्मित मोटर वाहनो की धुलाई एवं सर्विसिंग का कार्य किया जाता है। सर्विस स्टेशन में प्रतिदिन लगभग 10–15 गाड़ियों की मरम्मत एवं धुलाई की जाती है। उक्त ईकाई में 40के0वी0ए0 क्षमता का एक अदद कैनोपी युक्त डी0जी0 सेट स्थापित है। निरीक्षण के समय सर्विस स्टेशन में वाहनो के धुलाई एवं सर्विसिंग का कार्य किया जा रहा था। वाहनो की धुलाई से जनित उत्प्रवाह वर्कशाप के अन्दर बने हुए पिट/टैंक में सेटलिंग कराकर पम्प के माध्यम से परिसर के बाहर कृषि भूमि पर निस्तारित होता हुआ पाया गया । यथापि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु विभाग द्वारा नोटिस प्रदान किया जाना उचित है।
3. **मेसर्स आनन्द मोटर्स एजेन्सीज, भगवतीगंज, तहसील–बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर**– उक्त सर्विस स्टेशन भगवतीगंज, तहसील–बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर में स्थित एवं कार्यरत है। उक्त उद्योग एक आटोमोबाइल सर्विस स्टेशन है, जिसमें मारूति सुजुकी कम्पनी द्वारा निर्मित मोटर वाहनो की धुलाई एवं सर्विसिंग का कार्य किया जाता है। सर्विस स्टेशन में प्रतिदिन लगभग 10–20 गाड़ियों की मरम्मत एवं धुलाई की जाती है। उक्त ईकाई में 15के0वी0ए0 क्षमता का एक अदद कैनोपी युक्त डी0जी0 सेट स्थापित है। निरीक्षण के समय सर्विस स्टेशन में वाहनो के धुलाई एवं सर्विसिंग का कार्य किया जा रहा था। वाहनो की धुलाई से जनित उत्प्रवाह वर्कशाप के अन्दर बने हुए पिट/टैंक में एकत्रित पाया गया। निरीक्षण के समय सर्विस स्टेशन में उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु ई0टी0पी0 स्थापित नही पायी गयी तथा वाहनो की धुलाई से जनित उत्प्रवाह को पिट/टैंक में सेटलिंग कराकर पम्प के माध्यम से परिसर के बाहर कृषि भूमि पर निस्तारित होता हुआ पाया गया। यथापि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु विभाग द्वारा नोटिस प्रदान किया जाना उचित है।

समिति द्वारा जल प्रदूषणकारी कार्यकलापों के चिन्हीकरण में पाया गया कि बलरामपुर शहर में बलरामपुर शुगर मिल के अतिरिक्त अन्य कोई मुख्य जल प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाई (जीपीआई/एसपीआई) कार्यरत नही है। बलरामपुर शहर में संचालित आटोसेल्स/सर्विस स्टेशन से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण भूमि पर किया जाता है। उत्प्रवाह का निस्तारण किसी नाले/नदी में किया जाता नही पाया गया है।

समिति की आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(राजेन्द्र बहादुर)
उप जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

(अरूण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बस्ती।

(...जवाणि)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बस्ती

Annexure VI a

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542–281440
Phone & Fax : 05542–281440

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BASTI

संदर्भ संख्या : 256/ना०-92/Notice/2023

दिनांक : 16.10.2023

सेवा में,

मेसर्स अमित मोटर्स प्रा० लि०,
निकट रेलवे क्रासिंग, सिरसिया रोड,
जनपद–बलरामपुर।

विषयः–जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974(यथासंशोधित) की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथासंशोधित) की धारा 21/22 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि उपरोक्त वर्णित अधिनियमों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति(जल) एवं सहमति(वायु) प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता है। आपके इकाई का निरीक्षण कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.10.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि आपके द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति(जल एवं वायु) प्राप्त किये बिना ही इकाई का संचालन किया जा रहा है, जो प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन करना दर्शाता है एवं एक दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त वर्णित अधिनियमों के अनुपालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये जाने हेतु किसी भी उद्योग द्वारा निवेश मित्र योजनान्तर्गत ऑनलाईन सहमति आवेदन कर सहमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, किन्तु आप द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु अभी तक आवेदन नहीं किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु समुचित व्यवस्था तत्काल स्थापित करना सुनिश्चित करें तथा उक्त वर्णित अधिनियमों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति (जल) एवं सहमति (वायु) प्राप्त किये जाने हेतु उ०प्र० सरकार की निवेश मित्र की वेबसाईट (www.niveshmitra.up.nic.in) पर पूर्ण सूचनाओं के साथ तत्काल ऑनलाईन आवेदन कर राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही/विद्युत विच्छेदन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

भवदीय
16/10/2023
(डी०टी०एन०सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक–उपरोक्त।
प्रतिलिपि–मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–6), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

16/10/2023
क्षेत्रीय अधिकारी

प्लाक रोड, बुद्धापुरम, बढ़बन, बस्ती–272001
Web site: www.uppcb.com, e-mail id: robasti@uppcb.in, ropcbbasti@gmail.com

Annexure VI b

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542–281440
Phone & Fax : 05542–281440

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BASTI

संदर्भ संख्या : 255/जल-92/Notice/2023 RESO दिनांक : 16-10-2023

सेवा में,

मैसर्स आनन्द मोटर्स एजेन्सीज,
भगवतीगंज, तहसील–बलरामपुर,
जनपद–बलरामपुर।

विषयः–जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974(यथासंशोधित) की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथासंशोधित) की धारा 21/22 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत हों कि उपरोक्त वर्णित अधिनियमों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति(जल) एवं सहमति(वायु) प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता है। आपके इकाई का निरीक्षण कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.10.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि आपके द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति(जल एवं वायु) प्राप्त किये बिना ही इकाई का संचालन किया जा रहा है, जो प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन करना दर्शाता है एवं एक दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त वर्णित अधिनियमों के अनुपालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये जाने हेतु किसी भी उद्योग द्वारा निवेश मित्र योजनान्तर्गत ऑनलाईन सहमति आवेदन कर सहमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, किन्तु आप द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु अभी तक आवेदन नहीं किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु समुचित व्यवस्था तत्काल स्थापित करना सुनिश्चित करें तथा उक्त वर्णित अधिनियमों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से सहमति (जल) एवं सहमति (वायु) प्राप्त किये जाने हेतु उ०प्र० सरकार की निवेश मित्र की वेबसाईट (www.niveshmitra.up.nic.in) पर पूर्ण सूचनाओं के साथ तत्काल ऑनलाईन आवेदन कर राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरूद्ध की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही/विद्युत विच्छेदन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके उद्योग का स्वयं का होगा।

भवदीय
16/10/2023
(डॉ०टी०एन०सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांकः–उपरोक्त।
प्रतिलिपिः–मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–6), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

O/C 16/10/2023
क्षेत्रीय अधिकारी

ब्लाक रोड, बुद्धापुरम, बढ़नी, बस्ती–272001
Web site: www.uppcb.com, e-mail id: robasti@uppcb.in, ropcbbasti@gmail.com

HS-11D ... BHARAT BAZAR, BOLETTE Letter Pad Work

BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED

FACTORY : P.O. : BALRAMPUR, DISTT. : BALRAMPUR (U.P.) PIN-271201
PHONES : 05263-232061, 232078, 232235 I GSTIN : 09AAACB9373Q1ZW

Ref. No. : L/Pollution/971 30TH OCTOBER, 2023

To,

The Member Secretary
U.P. Pollution Control Board,
LUCKNOW.

Subject : Starting of Crushing Season 2023 – 2024.

Resp. Sir,

In continuation with our letter no. : L/Pollution/920 dated : 16.10.2023 addressed to Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Basti, we want to inform you that our unit will start the crushing operation for sugar season 2023 – 2024 in 03rd week of November – 2023.

We will inform the final date of starting as soon as decided.

With regards.

Yours Faithfully
For BALRAMPUR CHINI MILLS LTD.

(NISHKAM GUPTA)
CHIEF GENERAL MANAGER

REGD. OFF. : "FMC FORTUNA" 2ND FLOOR, 234/3A, ACHARYA JAGDISH CHANDRA BOSE ROAD, KOLKATA-700 020
TELEPHONES : (033) 2287-4749 I FAX : 2287-3083 I CIN-L15421WB1975PLCO30118, CALCUTTA I Email : bcml@bcml.in I Internet Website : http //www.chini.com